डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2001—माघ 10, शक 1922

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2001

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-1-18/2001/खाद्य/29-2.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक-28, सन् 2000) की धारा 60 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (iii) के उपबंधों के अनुसार तथा मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों के बीच पारस्परिक करार तारीख 23-1-2001 का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ''छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड'' का गठन दिनांक 1 फरवरी, 2001 से करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

Raipur, the 29th January 2001

NOTIFICATION

No./F-1-18/2001/food/29-2.—In accordance with the provision of clause (iii) of sub section (1) of section 74 read with sub section (1) of section 60 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 and in the pursuant to mutual agreement

dated 23-1-2001 between the successor States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, the State Government of Chhattisgarh, here by, constitutes "Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited" for the State of Chhattisgarh with effect from 1st day of February 2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. R. TONDAR, Under Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.